

<u>"जीवन प्रकाश"मंडलकार्यालय, जयपुर रोड, जयनारायण व्यास कॉलोनी, बीकानेर (राज.)</u>

निविदा से संबंधित नियम व शर्तें

- 1. निविदाएं तय समय व दिनांक पर कार्यालय समय के दौरान कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए। दरें केवल सलंग्न पत्र में ही प्रस्तुत करे। निविदा कर्ता द्वारा आइटम की सूचि/Make इत्यादि में किसी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन किया गया तो वह स्वीकार्य नहीं होगा।
- 2. निविदा की अविध सक्षम अधिकारी द्वारा दरों की स्वीकृति से एक वर्ष तक मान्य होगी इस अविध में आवश्यकतानुसार आपूर्ति करने का आदेश किया जाता रहेगा।
- 3. निविदा में वर्णित सामान की आपूर्ति निविदा में दिए गए पते पर करनी होगी। इसके लिए किसी भी प्रकार का अन्य खर्चा नहीं दिया जाएगा। जीएसटी का भुगतान भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार ही देय होगा। | दरें जीएसटी रहित देवे एवं सामान की आपूर्ति भारतीय जीवन बीमा निगम, मंडल कार्यालय, "जीवन प्रकाश", जयपुर रोड, बीकानेर पर पहुंचानी होगी।
- 4. सक्षम अधिकारी किसी भी निविदा को निरस्त करने, निविदा के किसी सामान को निरस्त करने, सामान की संख्या बढ़ाने/घटाने समान की गुणवत्ता के अनुसार न्यूनतम कोटेशन आने पर भी निरस्त करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखते हैं।
- 5. आदेश देने की तिथि के 30 दिनों के अंदर सामान की आपूर्ति करनी आवश्यक होगी।
- 6. आपूर्ति में देरी होने पर 31 वे दिन से 45 दिन के अंदर आपूर्ति आने पर 3%, 46 दिन से 60 वे दिन के अंदर अपूर्ति आने पर 4%, व 61वे दिन से 70 दिन के अंदर आपूर्ति पर 5%, संपूर्ण बिल राशि का पेनल्टी के रूप में काटा जाएगा।
- 7. सामान की आपूर्ति 70 दिनों तक प्राप्त न होने पर आपूर्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा व आपूर्ति आदेश अगले न्यूनतम बिड वाले को दिया जाएगा व अंतर की राशि मूल आपूर्तिकर्ता फर्म से वसूली जाएगी।
- यदि आप की फर्म की न्यूनतम दर है तो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत करने पर आप सामग्री आपूर्ति हेतु बाध्य होंगे।

- 9. आपकी फर्म सामान आपूर्ति नहीं करती है या तय शुदा मानको के अनुसार सामग्री की आपूर्ति नहीं करते है तो सक्षम अधिकारी को अधिकार होगा कि आपकी फर्म को ब्लैक लिस्ट करें।
- 10. किसी भी वाद-विवाद की स्थिति में न्यायक्षेत्र बीकानेर ही होगा।
- 11. बंद लिफाफे में निविदा कार्यालय में पहुचने की अंतिम तिथि 23.05.2023 को शाम 05.30 बजे तक है एवं दिनांक 24.05.2023 को अपरान्ह 12.00 बजे निविदाये खोली जाएगी जिसमें आपकी उपस्थित अपेक्षित है यदि आपकी फर्म के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होते हैं तो यह स्वतःसमझा जाएगा कि आप निविदा प्रक्रिया से पूर्ण संतुष्टहै।
- 12. निविदा संख्या 04 के अंतर्गत टेंडर अविध के दौरान किसी भी आइटम की अनुमानित मात्र को 25% तक बढ़ाया अथवा घटाया जा सकता है ।
- 13. Tax में कटौती भारत सरकार के नियमों के अनुसार होगी।
- 14. Seller will have to supply only OEM material exactly according to the Specification/ Make. In case of compatible item it must be workable on printers. Non-workable supply material will have to be taken back by supplier on its cost.
- 15 Vendors को OEM Authorisation certificate issued by company/manufacturer निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक है । इसके अतिरिक्त pre contact integrity pact (duly stamped and signed) fill करके निविदा के साथ ही जमा करवाना होगा जोकि निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न है ।
- 16 Successful tenderers will have to provide Security Deposit @ 3% of the contracted value (where the tende value or quantum of order placed exceeds amount of Rs. 1 Lacs) in the form of Demand Draft/ Bankers Cheque/Bank Guarantees through Scheduled Banks. The deposit shall not carry any interest. In that event LIC may decide/debar/blacklist the concerned Supplier and the decisions will be final and binding on all concerned
- 17 Tender shall be valid for the period of One Year but Corporation reserves the right for any alteration in period of the tender

18. THE INSURANCE LAWS (AMENDMENT) ACT, 2015

- 1. In terms of provisions of Section 33 (3) of The Insurance Laws (Amendment) Act , 2015, Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), is authorized to verify all such books of account, register, other documents and the data base in the custody of the contractor in respect of service outsourced by the LIC of India. It shall be the duty of the contractor to provide such documents/statements/information as may be required by IRDAI within such time as may be specified by IRDAI.
- 2. In terms of provisions of Section 33 (4) of The Insurance Laws (Amendment) Act, 2015, Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), if it considers expedient to do so, may direct any person hereinafter referred to as "Investigating Officer", to make an investigation as specified under Sec.33 (1) or carry out an inspection as specified under Section 33 (2) of the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015, who may

examine on oath any Manager, managing Director or Other Officer of the service provider or contractor where the services are outsourced by LIC of India

वरिष्ठ मंडल प्रबंधक

फर्म/ अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर मय सील



<u>"जीवन प्रकाश"मंडलकार्यालय, जयपुर रोड, सेक्टर नंबर 6-7, जयनारायण व्यास कॉलोनी, बीकानेर (राज.)</u>

UNDERTAKING

REF: TENDER NO. 04 /2022-23/ COMPUTER CONSUMABLE ITEMS

Name and Address & Seal of the company:

We hereby confirm that we have not been black-listed by LIC or PSU/BFSI organization / Government / Semi Govt. / Quasi Govt. Departments in India, as on date of submission of bid in response to the above. I am also agree with your term and conditions quoted in tender.

Dated at	this	day of	20	<u> </u>
Authorized Sign	atorv			
Signature	•			
Name :				
Designation:				